



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-399/2022

दिनांक- 03-दिसम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.12.22 वादिनी मुकदमा द्वारा थाना सरायमीर पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री को मो० कैफ पुत्र नन्हू उर्फ अतीक अहमद निवासी वउहरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा शादी करने हेतु बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 242/22 धारा 366 भादवि बनाम मो० कैफ उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 03.12.2022 को हृदयलाल पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त व अपहृता/पीड़िता को समय करीब 10.50 बजे सरायमीर टेम्पु स्टैड के पास से गिरफ्तार/बरामद किया गया।

बाद गिरफ्तारी अपहृता के बयान के आधार अभियुक्त मो० कैफ पुत्र नन्हू उर्फ अतीक अहमद निवासी वउहरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ को मु०अ०सं० 250/22 धारा 366 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 3/5(1) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि० में गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1-मु०अ०सं० 250/22 धारा 366 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 3/5(1) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि० थाना सरायमीर आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. मो० कैफ पुत्र नन्हू उर्फ अतीक अहमद निवासी वउहरिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ०नि० हृदयानन्द पाठक मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़।